



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ५।

नई दिल्ली, बुधवार, मई ३, २०१७/वैशाख १३, १९३९

No. 5।

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2017/VAISAKHA 13, 1939

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, ३ मई, २०१७

का.नि.आ. ६(अ)—छावनी अधिनियम, २००६ (२००६ का ४१) की धारा ३४६ की अपेक्षानुसार छावनी (छावनियों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट का प्ररूप) नियम, २०१६ संबंधी कठिपय नियमों का प्रारूप भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड ४ में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. ०९(अ), तारीख ०४.०८.२०१६ द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्ति तक सभी प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किये गये थे;

और, प्राप्त सभी आक्षेपों व सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, २००६ (२००६ का ४१) की धारा ३४६ की उपधारा (२) के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

१. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ।—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी (वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट का प्ररूप) नियम, २०१७ है।

(२) ये नियम भारत की सभी छावनियों में लागू होंगे।

(३) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

२. परिभाषाएँ।

(क) “अधिनियम” से छावनी अधिनियम, २००६ (२००६ का ४१) अभिप्रेत है;

(ख) “प्रधान निदेशक” से अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमों के प्रयोजन के लिए प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा, कमान के कर्तव्यों के पालन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) “महानिदेशक” से केन्द्रीय सरकार द्वारा उसी हैसियत से नियुक्त महानिदेशक, रक्षा संपदा अभिप्रेत हैं और इसमें ज्येष्ठ अपर महानिदेशक, अपर महानिदेशक शामिल हैं;

(घ) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है।

3. रिपोर्ट का प्ररूप।—इस अधिनियम की धारा 52 के अधीन प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रत्येक छावनी के मामले में उपाबद्ध प्ररूप में एक वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक या कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ या कमान के प्रधान निदेशक को प्रस्तुत करेगा।

4. अनुवर्ती कार्रवाई।—जहाँ भी रिपोर्ट कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ या प्रधान निदेशक द्वारा प्राप्त की जाती है, वहाँ निरीक्षण अधिकारी की सिफारिशों पर वह की गई अनुवर्ती कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा और केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक द्वारा जारी सभी आदेशों का पालन करेगा।

प्ररूप

(नियम 3 देखें)

1. पिछली निरीक्षण रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई।

2. वित्त

(क) आय

अवधि	स्थानीय स्रोत	अंशदान	जमा	कुल
(i) पिछले वर्ष				
(ii) पिछले वर्ष से पूर्व				
(iii) इससे पूर्व तीन वर्ष का औसत				
(iv) चालू वर्ष के लिए प्राक्कलन				

(ख) साधारण सहायता अनुदान

(पिछले तीन वर्ष के लिए पृथक रूप से)

(ग) विशेष सहायता अनुदान

(पिछले तीन वर्ष के लिए पृथक रूप से)

(घ) सेवा प्रभार

(पिछले तीन वर्ष के लिए पृथक रूप से)

(ङ) पिछले पहले अंत्रैल को राजस्व का बकाया

(अब बकाया राशि वर्षवार)

(i) भू-राजस्व

(ii) कर

(iii) अन्य स्रोत

(च) वित्तीय स्थिति की समीक्षा। -

(i) पिछले वर्षों के राजस्व और व्यय की तुलना कैसे है?

(ii) क्या वित्तीय अर्थव्यवस्था और सुधार लागू करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं?

(iii) क्या व्यय में कोई बड़ी वृद्धि हुई है? यदि ऐसा है तो स्पष्टीकरण ?

(iv) क्या किसी लघु शीर्ष के अधीन व्यय स्वीकृत राशि से अधिक है? यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं और उसे नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

(v) राजस्व राशि का बकाया कितना है? और यदि राशि अधिक है तो उसके क्या कारण हैं?

(vi) क्या पड़ोसी नगरपालिका के साथ संयुक्त चुंगी या टोल है? यदि ऐसा है तो क्या करार निष्पादित किया गया है और भुगतान नियमित हैं? यदि नहीं, तो कारण और उस पर की गई कार्रवाई।

3. लेखा-परीक्षा.—

- (क) पिछली लेखा-परीक्षा की तारीख। क्या लेखा-परीक्षा द्वारा कोई गंभीर प्रक्रियागत या वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है? सूचित करें।
- (ख) खातों को किन स्थितियों में बनाए रखा जाता है? क्या वे अद्यतन हैं? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं?
- (ग) क्या कोई हानि, गवन, कपट और दुर्विनियोग का मामला है? यदि ऐसा है, तो आज तक की गई कार्रवाई को सूचित करें। क्या वे नियमों या प्रक्रिया में किसी दोष को प्रकट करते हैं? यदि ऐसा है, तो दोषों को सुधारने के लिए क्या कोई कदम उठाए गए हैं? कृपया उपचारात्मक उपायों पर अपनी टिप्पणियाँ दें।

4. निर्धारण.—

पिछले निर्धारण की तारीख। क्या इसे नियत तारीख पर पुनरीक्षित किया गया था और प्रभावी बनाया गया था? परीक्षण की जांच के बाद बताएं कि क्या निर्धारण की दरें सही हैं या कम हैं और इसमें तत्काल पुनरीक्षण की आवश्यकता है। क्या निर्धारण में कोई विलंब हुआ है?

(परीक्षण की जांच हेतु लिए गए मामलों की एक सूची रिपोर्ट में जोड़ी जाए)।

5. कर ढांचे या कराधान की समीक्षा.—

- छावनी और पड़ोसी नगर पालिका में लगाए गए करों का विवरण दें।
- पड़ोसी नगर पालिका के साथ कर भार की तुलना कैसे की जाती है?
- क्या आप समझते हैं कि व्यय की तुलना में कराधान पर्याप्त है या क्या आपके पास इसे बढ़ाने के लिए कोई सुझाव है?
- दी गई सफाई सेवाओं की वास्तविक लागत की तुलना सैन्य सफाई से प्राप्तियों के साथ कैसे की जाती है?
- क्या आपके पास बोर्ड की कराधान नीति पर प्रस्तुत करने के लिए कोई टिप्पणियाँ हैं?

6. स्थापना या नियोक्ता संबंध.—

- (क) प्रतिष्ठान पैटर्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ।
- (ख) क्या बोर्ड ने स्थापना के मानक पैटर्न को अपनाया है? अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यकता, यदि कोई हो।
- (ग) क्या कोई अनियमित नियुक्तियाँ हैं? यदि हां, तो टिप्पणियों के साथ संख्या और श्रेणियाँ बताएं।
- (घ) क्या बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए ज्येष्ठता या प्रोत्तिका, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति और अन्य सेवा शर्तों के संबंध में व्यापक नियमों को अपनाया है?
- (ङ) क्या बोर्ड अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य प्रवर्गों के आरक्षण संबंधी आदेशों का अनुपालन कर रहा है? यदि नहीं, तो की गई अनियमितताओं को बताएं और टिप्पणी दें।
- (च) क्या बोर्ड न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) और अन्य सुसंगत श्रम विधियों का पूर्ण रूप से अनुपालन कर रहा है? यदि नहीं, तो कठिनाइयां बताएं।
- (छ) क्या छावनी फंड कर्मचारियों और बोर्ड के बीच विवाद की सुलह के प्रयोजनों के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं? क्या कोई विवाद शेष है।
- (ज) कर्मचारियों को दिए गए गैर-मौद्रिक लाभ अर्थात्, नि:शुल्क मकान किराया या रियायती दर पर मकान, नि:शुल्क पानी की आपूर्ति और विजली; बच्चों के लिए नि:शुल्क स्कूली शिक्षा इत्यादि और सुधार के सुझाव, यदि कोई हो, की संक्षिप्त समीक्षा, बोर्ड द्वारा कर्मचारियों के संबंध में किए गए कल्याण कार्य जैसे खेलकूद, शिशु गृह, मनोरंजन क्लब के प्रोत्साहन की संक्षिप्त समीक्षा।
- (झ) स्थापना की संख्या क्या है? संगठनात्मक चार्ट के साथ निम्न को दर्शाते हुए एक विवरण जोड़ें (i) पद का नाम, (ii) पद की संख्या, (iii) स्वीकृति सं. और तारीख और स्वीकृतिदाता प्राधिकारी, (iv) तैनात संख्या, (v) अनुसूचित जाति की संख्या। (vi) अनुसूचित जनजाति की संख्या, (vii) भूतपूर्व सैनिकों की संख्या, (viii) विकलांगों की संख्या, (ix) नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या, अलग से मासिक वेतन और ईनिक मजदूरी की सूचना दें (x) टिप्पणियाँ।

7. निर्माण कार्यक्रम.—

- (1) छावनी निधि और छावनी विकास निधि में से अलग से चलाई जा रही परियोजनाएं;
- (2) क्या माप पुस्तिकाओं और निर्माण कार्यों के रजिस्टरों में सही ढंग से पोस्ट की जा रही है? 10 प्रतिशत की जांच कर परिणाम उपदर्शित करें;
- (3) क्या निर्माण कार्य हाथ में लेने में सही प्रक्रिया का पालन किया है? 10 प्रतिशत की जांच कर परिणाम सूचित करें;
- (4) क्या निरीक्षण के दौरान कोई कमियाँ आपके संज्ञान में आई हैं अथवा अन्यथा रिपोर्ट की गई हैं? यदि ऐसा है तो टिप्पणी करें;
- (5) क्या बोर्ड के कार्यक्षेत्र पर आपकी कोई टिप्पणियाँ, आलोचना या सुझाव हैं?

8. स्टोर.—

- (1) क्या स्टॉक की नियमित रूप से जाँच की गई है? क्या कोई मापदंड निर्धारित किए गए हैं और क्या वे उचित हैं? क्या उपभोजित सामान के खातों का समुचित रख-रखाव है?
- (2) क्या सामान विहित प्रक्रिया के अनुसार खरीदा गया है? खरीदे गए सामान के 10 प्रतिशत की जांच कर परिणाम उपदर्शित करें;
- (3) क्या स्टोर्स को ठीक से रखा जाता है?
- (4) क्या चोरी और मूल्यांकन आदि के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हैं?
- (5) क्या स्टोर्स और कार्यशाला के रखरखाव के संबंध में आपकी कोई टिप्पणियाँ, आलोचना या सुझाव हैं?

9. जल आपूर्ति-कृपया वर्तमान स्थिति और कोई आवश्यक सुधार उपदर्शित करें.—

10. पट्टे या अनुज्ञासि या संविदा.—क्या इनके निवंधनों और शर्तों का सच्ची से पालन या प्रेक्षण पालन किया जाता है? क्या इन सबको जी एल आर या भू-राजस्व रजिस्टर या अनुदान रजिस्टर या संविदा रजिस्टर या अनुज्ञा रजिस्टर और सर्वेक्षण और जी एल आर योजना में लिख लिया गया है? 10 प्रतिशत की जांच कर परिणाम सूचित करें।

11. छावनी निधि संपत्ति.—(क) रखरखाव या उपयोग। वर्तमान स्थिति का भी विवरण दें।

(ख) यदि कोई त्रुटि पायी जाती है, तो इस तरह की त्रुटि के निवारण हेतु अपनी सिफारिश करें।

12. शिक्षा.—(क) विद्यालयों का विद्यमान स्तर और उनके उन्नयन के लिए योजना;

(ख) अंग्रेजी माध्यम स्कूल;

(ग) राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान;

(घ) परिषद द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने में अनुभव की गई कठिनाइयाँ और सुझाए गए उपाय;

(ङ) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र;

(च) दिव्यांग बच्चों के लिए केंद्र।

13. कल्याण के उपाय.—छावनी परिषद द्वारा वृद्धाश्रम, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, आदि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

14. अनधिकृत निर्माण या अपील-छावनी अधिनियम 2006 (2006 का 41) की धारा 340 के अधीन अनधिकृत निर्माण या अपील जीर्ण या परित्यक्त इमारत।

15. चिकित्सा या सार्वजनिक स्वास्थ्य.—(क) क्या टीकाकरण और महामारी के नियंत्रण के लिए पर्याप्त व्यवस्था है? क्या इनके संबंध में सैन्य प्राधिकारियों के साथ उपयुक्त समन्वय किया जा रहा है?

(ख) क्या आप छावनी अस्पताल या औषधालय के बारे में सामान्य टिप्पणी करना चाहते हैं? छावनी अस्पताल और औषधालय द्वारा कौन सी विशेषज्ञ सेवाएँ दी जा रही हैं तथा क्या वे पर्याप्त हैं?

(घ) उपचार किए गए रोगियों की औसत संख्या क्या है -

- (i) बहिरंग
- (ii) अंतरंग

और लागत क्या है?;

(घ) अस्पताल भवन कैसे उपलब्ध कराए गए हैं और इनका रख रखाव कैसा है? क्या वे उपयुक्त हैं और क्या पर्याप्त उपस्कर और संयंत्र हैं?

16. स्वच्छता।—(यहाँ संक्षेप में वर्तमान स्वच्छता व्यवस्था और सीवेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में आवश्यक किसी भी सुधार का विवरण दें)

- (क) क्या आप छावनी के आम दृश्य के बारे में कोई सामान्य टिप्पणी करना चाहते हैं? ;
- (ख) क्या स्वास्थ्य अधिकारी का निरीक्षण पर्याप्त है? ;
- (ग) क्या छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 277 के अधीन छावनी परिषद द्वारा अधिरोपित की गई शर्तों का ठीक से पर्यवेक्षण किया जा रहा है? ;
- (घ) क्या खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) को पर्याप्त रूप से लागू किया जा रहा है? ;
- (ङ) क्या नगरनिगम ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और ध्यालन) नियम, 2000 को लागू किया जा रहा है? सीवेज और ठोस अपशिष्ट जैवअवक्रमणीय और गैर-जैवअवक्रमणीय में छंटनी के बाद निपटान का विशेष उल्लेख करें और क्या ये प्रक्रिया उपयुक्त हैं? यदि नहीं, तो इस संबंध में परिषद की क्या योजना है? क्या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई गई हैं?।

17. अग्निशमन।—(क) अग्निशमन व्यवस्था, कोई घटना और उससे कैसे निपटा गया;

- (ख) नागरिक सुरक्षा व्यवस्था।

18. अभिलेख।—यहाँ अभिलेख की अवस्था और इसके रखरखाव का निम्नलिखित प्रास्थिति सहित विवरण दें-

- (i) रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण। क्या डिजीटल फाइलों को आरकिवल ईकाई और संसाधन केन्द्र पर अपलोड किया गया है? कृपया यह भी उपदर्शित करें कि क्या यह प्रक्रिया एक सतत अभ्यास के रूप में जारी है;
- (ii) क्या फाइलों को सूचीबद्ध किया गया है तथा फाईल प्रबंधन प्रणाली स्थापित किया गया है और क्या यह ठीक से काम कर रहा है? क्या लागू नियमों के उपबंधों के अधीन किसी पुराने रिकॉर्ड की छंटनी की आवश्यकता है? ;
- (iii) क्या पट्टों, करारों आदि महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान है? (पुराने रिकॉर्ड की उपलब्धता का 10 प्रतिशत परीक्षण जांच कर परिणाम उपदर्शित करें।

19. पर्यावरण का रखरखाव और पारिस्थितिक संतुलन और प्रदूषण नियंत्रण।

- (क) **छावनी गार्डन और वृक्षावधन।**—(i) नया वृक्षारोपण और परिणाम। यहाँ लगाए गए पेड़ों की संख्या तथा इनमें से मृत पेड़ों की संख्या और इसके कारण बताएं;
- (ii) क्या आप सार्वजनिक उद्यान, सड़क के किनारे पेड़ और पेड़ रखरखाव के संबंध में कोई टिप्पणियाँ, आलोचना या सुझाव देना चाहते हैं?
- (iii) क्या पेड़ों को अविवेकता पूर्वक काटा जा रहा है? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए किए गए उपाय;
- (ख) **प्रदूषण नियंत्रण।**—(i) क्या छावनी में कोई औद्योगिक या कारखाना क्षेत्र है? यदि हां, तो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों को उपदर्शित करें,
- (ii) क्या छावनी क्षेत्र में प्रदूषण के कोई अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं। यदि हां, तो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपने सुझाव दें।

20. ऊर्जा प्रबंधन।—क्या ऊर्जा लेखा परीक्षा और सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा के उपयोग ऊर्जा के लिए कोई प्रयास किए गए हैं?

- 21.** सड़क प्रकाश-व्यवस्था.—क्या आप सड़क प्रकाश व्यवस्था के संबंध में कोई टिप्पणियाँ करना चाहते हैं? क्या एलईडी लाइट रूपांतरण हुआ है? यदि ऐसा है तो कितना?
- 22.** राज्य या केन्द्रीय सरकार की कल्याण स्कीमें.—क्या ऐसी किन्हीं स्कीमों को लागू किया गया है? क्या इस तरह की स्कीमों के लिए कोई गुंजाइश है?
- 23.** सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग.—(क) रक्षा भूमि की स्थिति;
(ख) ई-शासन पहल - (i) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण सहित ऑनलाइन सुविधाएं (ii) ई-निविदा (iii) सुविधा और समाधान सहित शिकायत निवारण और (iv) जनता के लिए बुनियादी जानकारी।
- 24.** भूमि प्रबंधन.—(क) अतिक्रमण, (i) प्रास्थति, (ii) भावी योजना, (iii) हटाना या अड़चन।
(ख) सर्वेक्षण - प्रास्थति;
(ग) पट्टे- कितने पट्टे हैं जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी हैं और प्रत्येक मामले में नवीकरण के लिए क्या कार्रवाई की गई है? क्या कार्रवाई समय से की गई और पर्याप्त है?
- 25.** विधि वाद.—(i) व्योरे और प्रगति के साथ,
(ii) क्या न्यायालय मामला मानीटर रजिस्टर और न्यायालय आदेश अनुसरण रजिस्टर का रख-रखाव ठीक से किया जा रहा है।
- 26.** परिषद और समिति की कार्यवाही.—क्या बैठकें ठीक से आयोजित की जाती हैं?
पिछले निरीक्षण के बाद से महत्वपूर्ण विनिश्चय और उनका कार्यान्वयन।
(इस तरह के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की 10 प्रतिशत जांच कर परिणाम उपदर्शित करें।)
- 27.** सरकारी अनुदानों का उपयोग.—क्या सरकारी अनुदानों का समुचित उपयोग किया जा रहा है? कमियाँ, यदि कोई हो, तथा सरकारी अनुदान के समुचित उपयोग के लिए सुझाव।
- 28.** परिषद प्रशासन को सुदृढ़ बनाना और कदाचार उन्मूलन.—सरकारी पहलु अर्थात् कदाचारों, सरकारी मामलों, की गई अथवा सुझाई गई सुधारात्मक कार्रवाई, लगाए गए दंड और दंडों की पर्याप्तता आदि का निर्धारण। तीन महीनों से अधिक लंबित मामले।
- 29.** छावनी बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठकें.—महत्वपूर्ण मामलों, विशेष रूप से निरीक्षण से उठने वाले विषयों के बारे में बोर्ड के सदस्यों के साथ चर्चा।
- 30.** बंगला मालिक एसोसिएशन, कृषि पट्टेदारों और छावनी निधि कर्मचारी संघ या एसोसिएशन के साथ बैठकें.—इन संगठनों से संबंधित समस्याओं का पता लगाया जाए और इनके समाधान हेतु सुझावों या टिप्पणियों पर संक्षिप्त में चर्चा की जाए।
- 31.** (i) साधारण भूमि रजिस्टर में प्रविष्टियों की परीक्षण जांच – साधारण भूमि रजिस्टर में कुछ प्रविष्टियों की प्रत्यक्ष परीक्षण जांच की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अतिक्रमण या अनधिकृत अधिभोग नहीं हुआ है,
(ii) रक्षा भूमि निरीक्षण टीम रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव की पहल पर की गई कार्रवाई।
- 32.** किराए की मानक सारणी में प्रविष्टियों की जांच.—यह पता लगाने के लिए कि किराए पर्याप्त हैं और संपत्ति के मूल्य का सही निर्धारण हुआ है, कुछ साइटों के किराए की मानक सारणी में दिए गए किराए के संबंध में प्रत्यक्ष जांच की जाए।
- 33.** भूमि के पट्टों के लिए आवेदन.—सभी लंबित आवेदनों पर गौर करें और साइटों का निरीक्षण कर टिप्पणियाँ या सिफारिशें दें।
- 34.** कोई अन्य सुसंगत विषय।
- 35.** सामान्य

[फा. सं. 14(3)/2016-डी(क्यू एंड सी)]

मनीष ठाकुर, संयुक्त सचिव